B.A. I Paper II
SOCIOLOGY
M.A. JOHN

मुस्लिम विवाह

हिन्दू समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। परन्तु मुसलमानों में विवाह कोई संस्कार नहीं बल्कि एक समझौता माना जाता है। जिसमें दोनों की सहमति से कुछ conditions सहित विवाह का आयोजन किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में स्त्री तथा पुरुष दोनों को इस समझौते को तोड़ने का भी अधिकार दिया गया है।

डी० एफ० मुल्ला के अनुसार "निकाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना तथा उनको वैध घोषित करना है।"

Hedaya के अनुसार भी यह एक समझौता है जिसका उद्देश्य सन्तानउत्पत्ति तथा वैध यौन सम्बन्धों की अनुमति प्राप्त करना है।

जस्टिस अमीर अली इसे एक कानूनी संविदा मानते हैं जिसका आयोजन बिना मौलवी तथा धार्मिक क्रियाओं के किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह कहीं से भी धार्मिक संस्कार नहीं है। बल्कि स्त्री तथा पुरुष के बीच का एक समझौता है। इसलाम धर्म में इसे आवश्यक नहीं किया गया है परन्तु दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और इसके करने के अनेक सुझाव दिये गये हैं।

मुस्लिम विवाह के उद्देश्य

(1) यौन सम्बन्धों को वैधता प्रदान करना
(2) सन्तानों को वैधता प्रदान करना
(3) बच्चों का जन्म तथा उनका पालन पोषण।
(4) पति-पत्नी के सम्बन्धों को मधुर के द्वारा स्थायित्व प्रदान करना।

Scanned with CamScanner

(v) सन्तानउत्पत्ति के लिये बहुपत्नी विवाह को मान्यता देना।

(vi) पति पत्नी को यह अधिकार देना की इसके नहीं पालन पर दूसरा पक्ष छोड़ सकता है।

मुस्लिम विवाह की शर्तें

(1) लड़की का नौ वर्ष से अधिक होना।

(2) लड़के की आयु 15 वर्ष से अधिक है।

(3) व्यक्ति पागल न हो तथा स्वस्थ मस्तिष्क का हो अन्यथा समझौता तोड़ा जा सकता है।

(4) किसी भी पक्ष पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिये।

(5) निकाह के समय गवाह का होना जरूरी है।

(6) विशेष परिस्थिति में एक पुरुष एक समय में चार पत्नी तक रख सकता है अगर वह चारों के साथ समानता का व्यवहार कर सके।

(7) एक स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है।

(8) तलाक या मृत्यु के बाद ही पाँचवी स्त्री से विवाह कर सकता है।

(9) लड़का या लड़की यदि किसी स्त्री का दूध पिया हो तो उसके बच्चों से उसका विवाह सम्भव नहीं हो।

(10) इद्दत की अवधि में विवाह नहीं किया जा सकता।

(11) विवाह में लड़की को मेहर देना जरूरी है।

(12) एक से अधिक ईश्वर में विश्वास रखने वाले से विवाह नहीं किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

B.A I, Paper II
SOCIOLOGY
M.A. JOHN

मुस्लिम विवाह में महर

मुसलमानों में महर विवाह की एक आवश्यक शर्त है। इस नियम के अन्तर्गत शादी के समय पति को निकाह के समय पत्नी को महर के रूप में निर्धारित राशि देना होता है। जो विवाह की एक आवश्यक शर्त है। परन्तु यह कन्या मूल्य नहीं होता बल्कि इसका उद्देश्य पति पत्नि के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना होता है। यह रकम विवाह के पूर्व या निकाह के समय दोनों पक्ष की सहमति से निश्चित की जाती है। इस पर केवल कन्या का अधिकार होता है। बिना इसके निकाह वैध नहीं समझा जाएगा। तलाक देने की स्थिति में पुरुष ने अगर ये रकम अदा नहीं की है तो पहले उसे अदा करना होता है। साधारण रूप से बीबी फातिमा के मेहर की जो राशि थी आज के मूल्य के अनुरूप वह राशि मेहर में तय की जाती है। इसके चार प्रकार है :–

1. निश्चित मेहर
2. उचित मेहर
3. स्वर मेहर
4. स्थगित महर

मुस्लिम विवाह के स्वरूप

1. सही विवाह
2. बातिल विवाह
3. फासिद विवाह
4. मुता

Scanned with CamScanner

मुसलमानों में तलाक

मुसलमानों में तलाक के स्वीकृत निम्नलिखित प्रकार हैं:

(1) तलाके अहसन
(2) तलाके हसन
(3) तलाके बाइन
(4) इला
(5) खुला
(6) मुबारत
(7) जिहार
(8) लियान

Scanned with CamScanner